भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 407
(05 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)
एसएजीवाई के अन्तर्गत आदर्श ग्राम

407. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत आदर्श ग्राम का विकास करने का तरीका और संभावनाएं क्या हैं;
(ख) क्या उक्त योजना के तहत प्रत्येक सदस्य को अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव गोद लेना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसे गांवों का विकास पूरी तरह से राज्य सरकार की मंशा पर निर्भर करता है और कोई विशेष अधिकार या अतिरिक्त धनराशि नहीं दिए जाने से किसी गांव को गोद लेने की कवायद महज औपचारिकता बनकर रह जाती है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा है क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (घ): सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का उद्देश्य देशभर में समग्र रूप से विकसित आदर्श ग्राम पंचायतें (जीपी) तैयार करना है। इस योजना के तहत संसद के प्रत्येक सदस्य को 2014-2019 के दौरान तीन आदर्श ग्रामों और 2019-2024 के दौरान पांच ऐसे आदर्श ग्रामों (प्रत्येक वर्ष एक) की पहचान करना और उनका विकास करना था। एसएजीवाई के अंतर्गत निर्धारित ग्राम पंचायतें ग्राम सभा में सहभागिता प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम विकास योजना (वीडीपी) तैयार करती हैं , जो ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए एक कार्ययोजना

है। एसएजीवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार , एसएजीवाई के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों पर संबंधित पदाधिकारियों की है। एसएजीवाई को लागू करने के लिए जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी है। एसएजीवाई के विभिन्न पदाधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख दिशानिर्देशों के अध्याय 10 (https://saanjhi.gov.in/Guidlines.aspx) में किया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने ग्राम पंचायत प्रमुखों को एसएजीवाई कार्यान्वयन प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया। इस मंत्रालय ने एसएजीवाई के संबंध में एक सार-संग्रह तैयार किया है जिसमें एसएजीवाई के कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों की सहायता के लिए सहायक सामग्री है और उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के बीच इसे वितरित किया गया है। इस योजना के दिशानिर्देश 14 भाषाओं में तैयार किए गए हैं जिसमें इस योजना का ब्यौरा है और ये योजना के पोर्टल https://saanjhi.gov.in/ पर उपलब्ध हैं।

अतिरिक्त निधियों का आवंटन किए बिना संसद सदस्य के नेतृत्व में मौजूदा सरकारी योजनाओं (केन्द्र और राज्य) और अन्य स्वैच्छिक कार्यक्रमों के बीच अभिसरण और कार्यान्वयन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के विकास की परिकल्पना की गई है। एसएजीवाई के दिशानिर्देशों में यह परिकल्पना की गई है कि एसएजीवाई को निजी , स्वैच्छिक और सहकारी क्षेत्रों के संसाधनों और शक्तियों का सक्रिय रूप से दोहन करना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना में ग्राम पंचायतों के लिए विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से जुटाई गई निधियों का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता।

दिनांक 30 नवंबर, 2023 तक एसएजीवाई में ग्राम विकास योजनाओं के तहत कुल 2,51,946 गतिविधियों की योजना बनाई गई है। जिसमें से कुल 2,09,113 कार्यकलाप पूरे हो चुके हैं , जो ऐसे नियोजित कार्यकलापों का लगभग 83% है।

****